मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 1—48 / 09 / 20—1 भोपाल, दिनांक 6/10/09

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः— अध्यापक संवर्ग की हड़ताल के संबंध में।

संदर्भ :— विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1—48 / 2009 / 20—1 भोपाल, 26.09.2009

—0—

विषयांतर्गत प्रदेश में कार्यरत् अध्यापक संवर्ग द्वारा दिनांक 05 सितंबर 2009 को भोपाल में मांगों के संबंध में अर्द्धनग्न प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार द्वारा महसूस किया गया है कि अध्यापक संवर्ग द्वारा किया गया यह प्रदर्शन शिक्षकीय एवं शिक्षक दिवस की गरिमा के प्रतिकूल है। अध्यापक संवर्ग के नियम एवं सेवा की शर्ते नियम—2008 के नियम—8 (क) में अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी का प्रावधान दिया गया है। अतः दिनांक 05 सितंबर 2009 को अर्द्ध नग्न स्थिति में प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों को नामजद कारण बताओ सूचना जारी की जाए एवं इनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। अध्यापक संवर्ग की दिनांक 02 अक्टूबर 2009 से संभावित हड़ताल के मद्देनज़र विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले अध्यापकों की प्रतिदिन समीक्षा कर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए एवं शालाएं नियमित रूप से लगती रहे इस हेतु समुचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

(एस0एन0शर्मा)
उप सचिव
म.प्र शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 1—48 / 09 / 20—1 भोपाल, दिनांक 6/10/09

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण / आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
7. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत,
9. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत